पंचवर्षीय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956)

- इस योजना के लक्ष्य थे : शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामले में कम से सम्भव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण करना। इसके साथ–साथ इस योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरम्भ की गयी, जिससे राष्ट्रीय आय के लगातार बढ़ने का आश्वासन दिया जा सके। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–1961)

- प्रो. पी. सी. महालनोबिस के मॉडल पर आधारित इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण था। इसके लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। इन मूल महत्व के उद्योगों अर्थात् लौह एवं इस्पात, अलौह धातुओं, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग और मशीन–निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने का दृढ़ निश्चय किया गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–1966)

- तीसरी योजना ने अपना लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं स्वयं–स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना करना रखा। इस योजना ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की, परन्तु इसके साथ–साथ इसने बुनियादी उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया जो कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक था।

तीन वार्षिक योजनाएँ (1966–67 से 1967–69)

- वर्ष 1965 में भारत–पाकिस्तान युद्ध से पैदा हुई स्थिति, दो साल तक लगातार भीषण सूखा पड़ने, मुद्रा का अवमूल्यन होने, कीमतों में हुई वृद्धि तथा योजना उद्देश्यों के लिए संसाधनों में कमी होने के कारण चौथी योजना को अन्तिम रूप देने में देरी हुई। इसलिए इसके स्थान पर चौथी योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए 1966 से 1969 तक तीन वार्षिक योजनाएँ बनायी गयीं। इस अवधि को **'योजना अवकाश'** (Plan Holiday) कहा गया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–1974)

- चौथी योजना के मूल उद्देश्य थे– स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। चौथी योजना में राष्ट्रीय आय की 5.5% वार्षिक औसत वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, बाद में इसमें सामाजिक न्याय के साथ विकास और 'गरीबी हटाओ' जोड़ा गया।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–1978)

- इसमें दो मुख्य उद्देश्यों अर्थात् गरीबी की समाप्ति ओर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देने के अलावा आय का बेहतर वितरण और देशीय बचत दर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की नीति अपनायी गयी। मार्च, 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने चार वर्षों के पश्चात् ही पाँचवीं योजना को समाप्त कर दिया।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–1985)

- **छठी योजना दो बार तैयार की गयी।** जनता पार्टी द्वारा (1978–83 की अवधि हेतु) **'अनवरत योजना'** बनायी गयी। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार करना, जन–उपभोग की वस्तुएँ तैयार करने वाले कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्नतम आय वर्गों की आय बढ़ाना था। परन्तु जब कांग्रेस सरकार ने नयी छठी योजना (1980–85) तैयार की, तब विकास के नेहरू मॉडल को अपनाया गया, जिसका लक्ष्य एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990)

- सातवीं योजना में खाद्यान्नों की वृद्धि, रोजगार के क्षेत्रों का विस्तार एवं उत्पादकता को बढ़ाने वाली नीतियों एवं कार्यक्रमों पर बल देने का निश्चय किया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–1997)

- केन्द्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण **आठवीं योजना दो वर्ष देर से प्रारम्भ हुई।** आठवीं योजना का विवरण उस समय स्वीकार किया गया, जब देश एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसके मुख्य कारण थे–भुगतान संतुलन का संकट, बढ़ता हुआ ऋण भार, लगातार बढ़ता बजट–घाटा, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और उद्योग में प्रतिसार। नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक सुधारों के साथ राजकोषीय सुधारों की भी प्रक्रिया जारी की, ताकि अर्थव्यवस्था को एक नयी गति प्रदान की जा सके। आठवीं योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)

- इसमें विकास का 15 वर्षीय परिप्रेक्ष्य शामिल किया गया। नौवीं योजना का प्रमुख लक्ष्य वृद्धि के साथ 'सामाजिक न्याय और समानता' था।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007)

- इस योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार–विमर्श कर राज्यवार विकास दर निर्धारित की गयी। इसके साथ ही पहली बार आर्थिक लक्ष्यों के साथ–साथ सामाजिक लक्ष्यों पर भी निगरानी की व्यवस्था की गयी।
- दसवीं योजना के लक्ष्य :
  - योजना काल के दौरान जी. डी. पी. में वृद्धि दर 8 प्रतिशत पहुँचाना।
  - निर्धनता अनुपात को वर्ष 2007 तक कम करके 21 प्रतिशत और वर्ष 2012 तक कम करके 15 प्रतिशत तक लाना।
  - वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुँच को सर्वव्यापी बनाना।
  - वर्ष 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या की दसवर्षीय वृद्धि दर को 16.2 प्रतिशत तक कम करना।
  - साक्षरता में वृद्धि कर इसे वर्ष 2007 तक 75 प्रतिशत और वर्ष 2012 तक 80 प्रतिशत करना।
  - वर्ष 2007 तक वनों से घिरे क्षेत्र को 25 प्रतिशत ओर वर्ष 2012 तक 33 प्रतिशत तक बढ़ाना।
  - वर्ष 2012 तक पीने योग्य पानी की पहुँच सभी ग्रामों में कायम करना।
  - सभी मुख्य नदियों को वर्ष 2007 तक और अन्य अनुसूचित जल क्षेत्रों को वर्ष 2012 तक साफ करना।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012)

- औसत जीडीपी वृद्धि दर को 8.1% से 9% करना।
- कृषि जीडीपी वृद्धि दर को 4 प्रतिशत करना।
- स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर को 2011–12 तक घटाकर 20 प्रतिशत के स्तर पर लाना।
- साक्षरता दर को 75 प्रतिशत करना
- प्रजनन दर को 2.1 के स्तर पर लाना।
- 2011–12 तक 0–6 आयुवर्ग के लिंगानुपात को बढ़ाकर 935 करना।
- वन क्षेत्र को 5 प्रतिशत अंकों तक बढ़ाना।

गरीबी

सापेक्ष गरीबी :

- लारेंज वक्र
- गिनी गुणांक

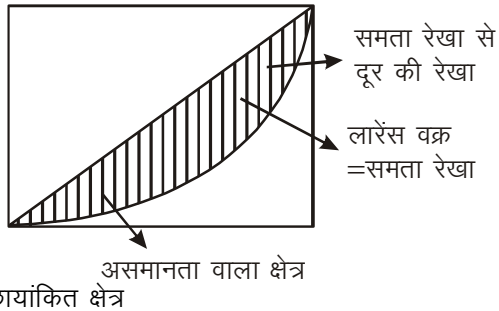

छायांकित क्षेत्र
समता रेखा के नीचे का भाग

नोट :

- विश्व बैंक के अनुसार 13258 से कम प्रति व्यक्ति आय है।
- अपने आय से जो व्यक्ति अपने आवश्यकता की वस्तुएँ न खरीद पाता हो निरपेक्ष गरीबी कहलाता है।
- **प्रो. लकड़वाला :** ने 1998 में कहा कि गरीबी मापन की सुचि अलग–अलग क्षेत्र में अलग–अलग होता है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र की अलग–अलग सुची बनाई जानी चाहिए।
  CPIAL = 2400
  CPIIW = 2100
  सर्वाधिक गरीबी की संख्या = उत्तर प्रदेश (5.90 करोड़)
  परन्तु % = 32%
  उड़ीसा में गरीबी % = 46%

जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं के वंचन से गरीबी का आशय लगाया जता है। गरीबी के मापन के दो तरीके हैं।

(1) सापेक्ष गरीबी (2) निरपेक्ष गरीबी

सापेक्ष गरीबी : सम्पूर्ण विश्व में पायी जाती हैं इसका मापन सम्पत्ति धारण की क्षमता से लिया जाता है। इसमें तुलनात्मक रूप से राह देखा जाता है कि किस व्यक्ति के पास अन्य की तुलना में कितनी सम्पत्ति हैं इसे मापने के लिए लारेंज वक्र तथा मिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है।

निरपेक्ष गरीबी : गरीबी का वास्तविक आशय निरपेक्ष गरीबी से लगाया जाता है। एक व्यक्ति निरपेक्ष गरीब तब कहलायेगा जब वह अपनी वर्तमान आय के माध्यम से मूल भूत आवश्यकताओं को पूरी न कर पाता हो। इसे मापने के लिए भारत के नोबल पुरस्कार विजेता अर्थाशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन (1998) ने Head Count Ratio जैसी विधि का प्रयोग करते हैं। इनका मानना है कि जो व्यक्ति गरीबी रेखा से जितना ही नीचे होगा उतना ही ज्यादा गरीब होगा। अर्थात् गरीबी रेखा के नीचे गरीबी का घनत्व बढ़ता जाता है।

भारत में गरीबी का आकलन योजना आयोग द्वारा किया जाता है और इससे सम्बन्धित आंकड़ों का प्रकाशन NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन सर्वे संगठन द्वारा किया जाता हैं योजना आयोग ने 1969–65 में प्रति व्यक्ति 20 रुपया मासिक को गरीबी हेतु आधार बनाया जिसकी काफी आलोचना की गई और इसे संसोधित करके ग्रामीण और संशोधित क्षेत्र के लिए 20 व 25 रु. निर्धारित किया गया। 1977 में न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावपूर्ण मांग की कार्यदल (task force) कैलोरी को गरीबी का मापक बनाया गया। 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए तथा 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निश्चित किया गया।

इसमें पुनः संसोधन करके 1989 में प्रो. लकड़ावाला के द्वारा बनाया गया सुचकांक गरीबी के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। कैलोरी की क्षतिपूर्ति अब अलग–अलग राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए CPIAL (Consumer Price Index Agriculture Labour) तथा औद्योगिक रमिकों के लिए CPIIW काा प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति को आठवीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। वर्तमान में भी यही चल रही है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 356 रु. मासिक तथा शहरी क्षेत्रों 538 रु. मासिक कैलोरी निश्चित किया गया है।

विश्व बैंक तथा अन्य संगठन गरीबी मापन हेतु अलग–अलग धनराशि को पैमाना बनाए है। विश्व बैंक के अनुसार जो व्यक्ति 1.25$ या इससे कम प्रतिदिन कमा रहा हो वह गरीब कहलाएगा।

एशियन Development Bank 1.35$ तथा भारत सरकार 1.02$ को गरीबी रेखा का मापक मानते हैं।

भारत में गरीबी के मापन के लिए दो पद्धतियाँ पाई जाती हैं–

(1) URP : (Unifor Recall Period) : यह 30 दिवसीय अवधि पर आधारित होता है।

NSSO के 61वें चक्र के अनुसार URP के आधार पर सम्पूर्ण भारत में 2004–05 की अवधि में 27.25% की गरीबी पाई गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 28.30% तथा शहरी क्षेत्रों में 25.7% की गरीबी पाई जाती है।

MRP (Minimum Recall Period) : यह 365 दिनों (1 साल) पर आधारित होती है। इसमें 5 गैर खाद्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है। गैर खाद्य वस्तुओं में 1) वस्त्र, 2) जूता चप्पल, 3) मकान, 4) शिक्षा, 5) संस्थागत चिकित्सा। MRP के आधार पर 2004–05 की अवधि में सम्पूर्ण भारत में 21.8% की गरीबी पाई गयी।

सर्वाधिक गरीबी के प्रतिशत वाले राज्य–
(1) उड़ीसा – 46.4% सर्वाधिक
(2) बिहार – 41.41%
(3) छत्तीसगढ़ – 40.9%
(4) झारखण्ड – 40.3%
उत्तर प्रदेश में गरीबी का %, 32.8% है।

नोट : सर्वाधिक गरीबों की संख्या (5.40 करोड़) उत्तर प्रदेश में है।

महत्वपूर्ण : मार्च 2009 में प्रकाशित प्रो. सुरेश तेन्दुलकर की रिपोर्ट ने गरीबी के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिए हैं वो NSSO के आंकड़ों से काफी अलग है। इन्होंने गरीबी के मापन के MRP पद्धति को अपनाया है जिसके अनुसार सम्पूर्ण भारत में 37.2% की गरीबी पाई जाती है।

भारत में सम्पूर्ण स्तर पर गरीबी के सम्बन्ध में कुछ अनुमान

योजना आयोग का अनुमान (2005)		
2004–05 मूल्य पर	–	27.5%
ग्रामीण क्षेत्र 28.3%		
शहरी 25.7%		
अर्जुन सेन गुप्ता पैनल		
2004–05 मूल्य पर	–	77%
प्रतिदिन 20 रुपया		
एन.सी. सक्सेना कमेटी (2009)		
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त	–	50%
विश्व बैंक (2008 रिपोर्ट)		
1.25 डालर प्रतिदिन 2005 में 41.6%		
सुरेश डी तेन्दुलकर (2009)		
2004–05 मूल्य पर	–	37.2%
ग्रामीण	–	41.8
शहरी	–	25.7

उल्लेखनीय है कि तेन्दुलकर कमेटी ने 2004–05 मूल्य पर ग्रामीण व्यय को 446.68 रु. तथा शहरी व्यय को 78.80 प्रतिमाह मानते हुए ग्रमीण क्षेत्र के लिए 41.8% तथा शहरी क्षेत्र के लिए 25.7% का अनुमान दिया। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि तेन्दुलकर का व्ययसम्बन्धी अनुमान लकड़ावाला अनुमान से अधिक पर सेनगुप्ता के अनुमान से कम है।

एच. डी. आर. (2010) (HDR)

बहुआयामीय गरीबी सूचकांक (MPI) पर आधारित – 55.4%

हाशिम कमेटी : शहरी क्षेत्रों में गरीबी के अनुमान के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त कमेटी।

21 अप्रैल, 2011, योजना आयोग ने तेन्दुलकर कमेटी–फार्मूले के ही आधार पर यह स्थापित किया है कि 2009–10 में गरीबी 37.2% से घटकर 32% हो गयी है।

बहु आयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index)

वर्ष 2010 से साक्षरता और आय पर इनके संकेतकों को नया रूप दिया गया है जिसके तहत 'सकल नामांकन दर' एवं 'वयस्क साक्षरता दर' को क्रमशः स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष (Expected years of schooling) एवं 'स्कूलावधि के औसत वर्ष' (Mean years of schooling) से प्रतिस्थापित किया गया है और 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) का स्थान 'सकल राष्ट्रीय आय' (GNI) ने लिया है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय आय प्रवाहों को भी शामिल किया जाता है।

यूएनडीपी ने वर्ष 2010 से मानव विकास सूचकांक तैयार करने के लिए जिस बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का इस्तेमाल किया है, उनके अंतर्गत एक ही परिवार के सदस्यों में पाए जाने वाले शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से सम्बन्धित अभावों पर ध्यान दिया गया है। अर्थात भारत में गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन–दशाओं से सम्बन्धित अभाव पाये जाते हैं।

बेरोजगारी

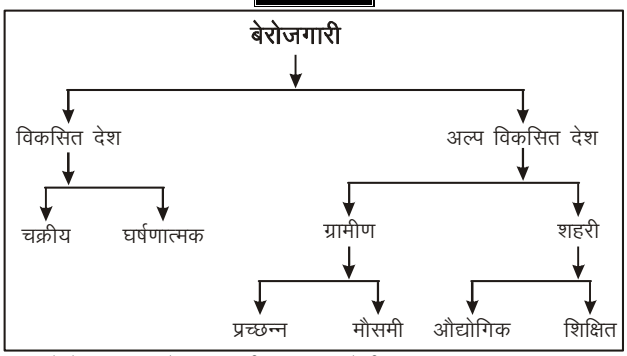

बेरोजगारी से तात्पर्य ''जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करना तो चाहता है, पर उसे कार्य न मिल पाता हो। इसमें 15 एवं 65 वर्ष के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है सम्पूर्ण विश्व में बेरोजगारी की प्रकृति भिन्न–भिन्न है।

विकसित देशों में तथा विकासशील देशों में बेरोजगारी दो प्रकार की पायी जाती है।

(1) ऐच्छिक बेरोजगारी : ऐसे लोग जो अपने मन मुताबिक कार्य के अभाव में किसी अन्य कार्य को नहीं करना चाहते उन्हें **ऐच्छिक बेरोजगार** कहा जाता है।

(2) अनैच्छिक बेरोजगारी : ऐसे लोग जो कार्य करना तो चाहते है पर उन्हें कार्य न मिल पाता हो ऐसे लोग ही वास्तविक रूप से बेरोजगार माने जाते हैं।

विकसित देशों में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जहाँ माँग की कमी है वहीं अल्पविकसित देशों में बेरोजगारी का प्रमुख कारण संरचनात्मक (रेल, रोड, शिक्षा, संस्थागत चिकित्सा, शुद्ध पेयजल) विकास की कमी है।

विकसित देश : इसमें दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। विकसित देशों में तकनीकी तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है।

(1) तकनीकी बेरोजगारी : एक तकनीक के स्थान पर जब दूसरी तकनीक आ जाती है तब पुरानी तकनीकी पर काम करने वाला व्यक्ति जब तक प्रशिक्षण प्रापत नहीं कर लेता तब तक वह बेरोजगार होगा।

(2) घर्षणात्मक बेरोजगारी : जब व्यापार जगत में उतार चढ़ाव के कारण मांग कम हो जाती है तो यह अपना प्रभाव सीधे रूप से उत्पादन एवं रोजगार पर डालती है। जैसे– मंदी के दिनों में मांग की कमी के कारण रोजगार में कमी उत्पनन हो जाती है। इस प्रकार की बेराजगारी भी मांग के साथ समाप्त हो जाती है।

अल्प विकसित देशों में प्रमुख बेरोजगारी छिपी हुई या प्रछन्न प्रकार की है। यह भारत की प्रमुख बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है।

विकास कार्यक्रम/रोजगार कार्यक्रम

कार्यक्रम	वर्ष	उद्देश्य
प्रथम योजना	1952	देश/राष्ट्र का समग्र विकास
लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO)	1954	नये उद्योगों के विकास हेतु
सधन कृषि जिला कार्यक्रम (IADP)	1960–61	कृषकों के बीज, उर्वरक, औजार और ऋण उपलब्ध कराना।
सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम (IAAP)	1964–65	विशिष्टि फसलों का विकास
साख अधिकरण योजना (CAS)	1965	RBI की चयनात्मक साख नीति की एक योजना
अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम (High, Yielding Variety Programme)	1966–67	कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु नये किस्म के बीजों का प्रयोग
भारत पर्यटन विकास निगम	1966	होटलों एवं आराम गृहों का निर्माण
हरित क्रांति	1966–67	कृषि उत्पादन में वृद्धि करना
बहु फसली कार्यक्रम (MCP)	1966–67	कृषि उत्पादन में वृद्धि करना
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	1969	कृषि एवं उद्योगों हेतु ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था
विभेदीकरण ब्याजदर योजना	1972	समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर 4% पर ऋण उपलबध कराना

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	1972–73	ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण सन्तुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
ग्रामीण रोजगार के लिए नकद योजना	1972–74	ग्रामीण विकास हेतु
सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक ऐजेन्सी	1973–74	तकनीकी एवं आर्थिक सहायता
लघु कृषिक विकास ऐजेन्सी	1974–75	तकनीकी एवं आर्थिक सहायता
कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1974–75	बड़ी एवं छोटी योजनाओं हेतु सिंचाई की व्यवस्था
बीस सूत्रीय कार्यक्रम	1975	गरीबी उन्मूलन एवं रहन सहन उच्चीकरण
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान	1977	ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण, शोध तथा सलाहकारी संस्था
मरुभूमि विकास कार्यक्रम	1977–78	मरुभूमि विस्तार प्रक्रिया नियंत्रण एवं पर्यावरण सन्तुलन
काम के बदले अनाज कार्यक्रम	1977–78	विकास प्रक्रियाओं के काम हेतु खाद्यान्न देना
• अन्तोदय कार्यक्रम	1977–78	राजस्थान में गांव के सबसे गरीब परिवारों को स्वावलम्बी बनाना
• ग्रामीण युवाओं का स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM)	15 Aug. 1979	ग्रामीण युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
• समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)	2 Oct., 1980	ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना
• राष्ट्रीय ग्राम्य रोजगार कार्यक्रम (NREP)	1980	ग्रामीण निर्धनों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना
• ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA)	1982	BPL ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
• ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (RLEGP)	15 Aug., 1983	भूमिहीन कृषकों व श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु
शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना	1983–84	स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सहयोग
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष	1984	दानकर्ता के कर में 100% की छूट तथा ग्रामीण विकास की परियोजना हेतु दान प्राप्त करना
व्यापक फसल बीमा योजना	1 April, 1985	विभिन्न कृषि फसलों की बीमा हेतु
इन्दिरा आवास योजना	1985–86	ग्रामीण क्षेत्रों में गृह ऋण 5 लाख रु.
लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (Council for Advancement of People's Action and Rural Action Technology (CAPART))	1 Sept., 1986	ग्रामीण समृद्धि हेतु सहायता 28 दिसम्बर, 2004 से इसका नाम बदलकर 'गंगोत्री' कर दिया गया है– गवर्नमेंट इन ऐक्शन विथ एनजीओ ट्रान्सफार्मेशन ऑफ रुरल इण्डिया
ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	1986	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था
शहरी निर्धनों हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम (SEPUP)	1986	स्वरोजगार हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मदद
सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण	1988	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई साख नीति
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	1988	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिखा विस्तार
भरतीय पर्यटन वित्त निगम	1989	पर्यटन से सम्बद्ध योजनाओं हेतु वित्त व्यवस्था
गृह ऋणखाता योजना	1989	गृह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सहायता
• नेहरू रोजगार योजना (NRY)	Oct. 1989	नगरीय बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु
• जवाहर रोजगार योजना (JRY)	April, 1989	ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु
• कुटीर ज्योति योजना	1988–99	ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवारों को विद्युत कनेक्शन
कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना (ARDRS)	1990	ग्रामीण कुशल श्रमिकों, कारीगरों, बुनकरों को 10000 रु. तक ब्याज मुक्त ऋण देना
शहरी सूक्ष्म उद्यम योजना	1990	शहरी लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता
शहरी सवेतन रोजगार योजना	1990	एक लाख से कम जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों में गरीबों के लिए मूल सुविधा की व्यवस्था करके मजदूरी रोजगार प्रदान करना
शहरी आवास एवं आश्रय सुधार योजना	1990	1 लाख से 20 लाख की जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों में आश्रय उन्नयन के माध्यम से रोजगार प्रदान करना
रोजगार आश्वासन योजना	2 Oct., 1993	रोजगार उपलब्ध कराने हेतु
प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना (PMRY)	2 Oct., 1993	शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करना
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	1995	19 वर्ष से अधिक को BPL गर्भवती महिलाओं को 300 रु. की वित्तीय सहायता

प्रधानमंत्री की शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु रोजगार योजना	18 Nov., 1995	50000 से 1 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शिक्षित युवकों को वित्तीय सहायता
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	1995	विभिन्न योजनाओं द्वारा BPL लोगों को सहायता
ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक जीवन बीमा	1995–96	ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों को कम लागत पर जीवन बीमा सुविधा
वृद्धावस्था पेंशन योजना	1995	65 वर्ष या अधिक आयु के असहाय वृद्धों को 200 रुपया मासिक पेंशन
उत्तर–पूर्व विकास बैंक	1995	उत्तर–पूर्व क्षेत्रों में उद्योगों को सहायता
संगम योजना	1996	विकलांगों के कल्याण हेतु
• कस्तूरबा गाँधी शिक्षा योजना	15 Aug., 1997	नीची महिला साक्षरता वाले जिलों में बालिका विद्यालय की स्थापना
• गंगा कल्याण योजना (GKY)	1997–98	भूतल जल एवं भूमिगत जल की निकासी एवं रख रखाव हेतु कृषिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
• स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY	1 Dec., 1997 (75 : 25)	शहरी क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना योजना में तीन योजनाएं विलय कर दी गयी– (1) नेहरू रोजगार योजना (2) PM को समन्वित शहरी गरीबी निवारण कार्यक्रम (3) शहरी बेसिक सेवा गरीबों हेतु
भाग श्री बाल कल्याण नीति	19 Oct., 1998	बालिकाओं की दशा सुधारने हेतु
राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना	10 Oct. 1998	महिलाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करना
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	1 April, 1999	सुधारना और लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना
• अन्नपूर्णा योजना	19 March, 1999	वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज
समग्र आवास योजना	1999	वृहद् गृह योजना
• स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SJGSY)	1 April, 1999 (75 : 25)	सामूहिक प्रयास पर बल सहायता प्राप्त गरीब व्यक्ति को 3 वर्ष में BPL के ऊपर लाना। इसमें छः कार्यक्रमों का विलय कर दिया गया (i) IRDP, (ii) RRYSEM, (iii) DWCR, (iv) SITRA, (v) MWS, (vi) GKYक
जनश्री बीमा	10 Aug. 2000	BPL लोगों को बीमा सुरक्षा कवच देना
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	2000	गाँवों का समग्र विकास
अन्तोदय योजना	2000	बी.पी.एल. परिवार के सर्वाधिक गरीबों को अनाज 2 Rs./ किलो गेहूँ, 3 Rs./ किलो चावल उपलब्ध कराना
आश्रय बीमा योजना	June, 2001	रोजगार छूटे कर्मचारियों को सुरक्षाकवच प्रदान करना
कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	1 July, 2001	कृषि श्रमिकों को LIC के सहयोग से सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)	25 Sept. 2001 (75 : 25)	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन
• वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना	Dec. 2001 50 : 50	शहरी स्लम आबादी को स्वच्छ आवास उपलब्ध कराने हेतु
शिक्षा सहयोग योजना	2001–02	BPL परिवारों के बच्चों को 8वीं बाद की शिक्षा जारी करने हेतु आर्थिक सहायता
• सर्वशिक्षा अभियान नवीं 85 : 15 दसवीं बाद में	2000–01 75 : 25 50 : 50	6–14 वर्ष के सभी बच्चों को 2010 तक आठवीं तक की निःशुल्क एवं गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना
• खाद्यान्न बैंक योजना	2001	घोषितग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक की स्थापना
महिला स्वयं सिद्धि योजना	12 July, 2001	महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण2योजना में इन्दिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना का विलय
संकट हरण बीमा योजना	30 Sept., 2001	कृषकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना
पापुलेशन फर्स्ट योजना	2002	निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा 2005 तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने हेतु सहायता
स्वजल धारा योजना	25 Dec., 2002	ग्राम पंचायतों के माध्यम से कुएं, बाबडत्री व हैण्डपम्प लगाने की सुविधा उपलब्ध कराना

• निर्मल भारत योजना	15 Aug., 2002	मलिन बस्तियों में सामुदायिक शैचालयों की सुविधा का विस्तार
अंशदायी बीमा योजना	15 Aug. 2002	10 लाख बुनकरों व शिल्पकारों को बीमा सुरक्षा
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	25 Dec., 2000	100% केन्द्रीय स्कीम, 500 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को जोड़ना
जनरक्षा बीमा योजना	2002–03	1 रु. प्रतिदिन भुगतान से चयनित व्यक्ति निर्धारित अस्पताल में 30 हजार रु. तक का उपचार
• जयप्रकाश नारायण रोजगार गारन्टी योजना	2002–03	देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों व जरूरत मन्दों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु
• हरियाली योजना	27 Jan., 2003	ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन
• ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम (PURA)	15 Aug., 2003	ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत सुविधा उपलब्ध कराना
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	2003	देश के पिछड़े राज्यों में 6 नये AIIMS अस्पतालों को स्थापित करने हेतु
काम के बदले अनाज	2004	
असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा पायलट योजना	23 Jan., 2004	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पारिवारिक पेंशन बीमा व चिकित्सा आदि सुविधा देना
नेशनल फूड फार वर्क्स प्रोग्रैम	13/10/2004	
जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन	3 Dec., 2005	शहरी अवस्थापना विकास
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान	12 April, 2005	प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षाको सुदृढत्र करना
भारत निर्माण योजना	16 Dec., 2005	ग्रामीण अवस्थापना सर्वांगीण तथा व्यापक विकास योजना
आम आदमी बीमा योजना	2 Oct., 2007	भूमि रहित ग्रामीण परिवार के मुखया या आय अर्जक व्यक्ति की बीमा योजना
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	1 Oct., 2007	बीपीएल परिवार के असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा देना
• जनशाला सबला	19 Nov., 2010	किशोरी सशक्तीकरण की केन्द्रीय योजना, देश के 200 जिलों में लागू किशोरियों के स्वास्थ्य तथा पोषण से सम्बन्धित योजना
• स्वावलम्बन	27 Sept. 2010	असंगठित क्षेत्र के लिए नयी पेंशन योजना
• राजीव गाँधी स्कीम फार ऐडोलेसेन्ट गर्ल्स	1 April 2010 से लागू	ICDS द्वारा क्रियान्वित
• महिला कृषि सशक्तीकरण योजना	1 April 2010 से लागू	नेशनल लिवलीहुड मिशन का एक उपभाग
• नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन	2009–10	SGSY का नया नाम
• राजीव आवास योजना (RAY)	2009–10	स्लममुक्ति से सम्बन्धित
• प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	2009–10	अनुसूचित जाति बहुल ग्राम विकास योजना
• महिला किसान सशक्तीकरण योजना	2010–11	ग्रामीण किसान महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु
• महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्ल्वायमेंट गारन्टी प्रोग्राम (मनरेगा)	2006 से शुरू नरेगा को 2 अक्टू. 2009 को नये नाम मनरेगा से शुरू	ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अधिकार देना

भारतीय कृषि

- वर्तमान में कृषि क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 26% का योगदान करता है। 1950–51 में यह जी. डी. पी. का 55.4% था।
- भारत में श्रम शक्ति का लगभग 65% भाग कृषि क्षेत्र से जीविका पाता है। 2009–10 : 52%
- यह बहुत निराशाजनक है कि 1951–2001 के दौरान, कृषि श्रमिकों का अनुपात 20% से बढ़कर 27% हो गया; जबकि कृषकों की मात्रा 50% से घटकर 32% हो गई।
- कृषि से प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। सूती और पटसन वस्त्र उद्योग, चीनी, चाय, वनस्पति तथा बागान उद्योग, ये सब कृषि पर निर्भर हैं। हस्तकरघा बुनाई, तेल निकालना, चावल कूटना आदि बहुत से लघु और कुटीर उद्योगों को भी कृषि से कच्चा माल मिलता है।
- विनिर्माण–क्षेत्र में उत्पनन आय का 50% इस क्षेत्र से आता है।
- भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्यतः कृषि वस्तुएँ हसी हैं।
- मोटे तौर पर कुल निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात लगभग 15-20% है तथा कृषि से बनी वस्तुओं का अनुपात 20% है।
- कृषि भारत की परिवहन–व्यवस्था का मुख्य अवलम्ब है क्योंकि रेलवे और सड़क मार्ग का अधिकांश व्यापार कृषि वस्तुओं को लाना व ले जाना है।
- अन्तर्देशीय व्यापार की वस्तुएँ भी मुख्यतः कृषि वस्तुएँ ही हैं।
- अच्छी फसल होने पर किसानों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है जिससे उद्योग–निर्मित वस्तुओं की माँग और कीमतें बढ़ जाती हैं। परिणामतः उद्योगों की प्रगति होने लगती है।
- अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत सकल उर्वरक उपभाग में विश्व में चौथा स्थान रखता है।
- दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है।
- भारत में कृषि उत्पादन में पशुपालन उत्पाद का हिस्सा 26% है।

उत्पादन सम्बन्धित क्रान्तियाँ

- **हरित क्रान्ति** : हरित क्रान्ति का सम्बन्ध कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीक के सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से है। इस क्रान्ति का श्रेय मैक्सिको के डॉ. नॉर्मन बोरलॉग और भारत के डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को जाता है।
- **पीली क्रान्ति** : खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसन्धान और विकास।
- **श्वेत क्रान्ति** : दूध के क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रमों को ही श्वेत क्रान्ति का नाम दिया गया। श्वेत क्रान्ति की गति को और तेज करने के उद्देश्य से **"आपरेशन फ्लड"** नामक योजना आरम्भ की गयी। इस क्रान्ति का श्रेय भारत के डॉ. वर्गीस कुरियन को जाता है।
- **नीली क्रान्ति** : मछली उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति को नीली क्रान्ति के रूप में जाना जाता है।
- **गुलाबी क्रान्ति** : मांस व्यापार के क्षेत्र में हुई प्रगति को गुलाबी क्रान्ति के रूप में जाना जाता है।
- **सलेटी क्रान्ति** : अण्डे उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति को सलेटी क्रान्ति के रूप में जाना जाता है।
- **भूरी क्रान्ति** : गैर–परम्परागत ईंधन के उत्पादन के क्षेत्र में हुई क्रान्ति भूरी क्रान्ति के रूप में जानी जाती है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली

भारतीय वित्तीय प्रणाली को मुख्यतः दो भागों में बाँटा गया है। (1) मुद्रा बाजार, (2) पूँजी बाजार

मुद्रा बाजार के अन्तर्गत अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है अर्थात् इसकी अवधि 1 वर्ष से कम होती है, जबकि पूँजी बाजार के अन्तर्गत दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है अर्थात् 3 वर्ष से अधिक 15 वर्ष से कम।

भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित तथा असंगठित दो क्षेत्रों में बाँटा गया है। असंगठित के अनतर्गत सेठ, महाजन, साहूकार शामिल है जबकि संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत RBI शीर्ष पर कार्य करती है तथा इसके साथ–साथ व्यापारिक बैंक व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ (LIC, GIC) भी कार्य करते हैं।

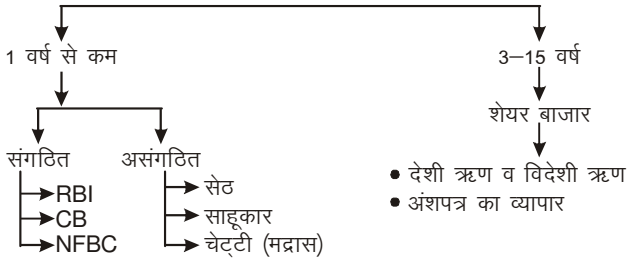

भारत में प्रतिभूति–मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन (Printing of Securities and Minting in India)

भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है–

छापेखाने (Printing Press) :

1. **इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक (महाराष्ट्र)** : नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (India Security Press) में डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक भिनन टिकटों, अदालती एवं गैर–अदालती स्टाम्पों, बैंकों (RBI तथा SBI) के चेकों, बॉण्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इन्दिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रकों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है।
2. **सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस, हैदराबाद** : सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस, हैदराबाद की स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की माँगों को पूरा करने व पूरे देश की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की माँग को पूरा करने के लिए 1982 में की गई थी, ताकि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके।

3. **करेन्सी प्रेस नोट, नासिक (महाराष्ट्र)** : नासिक रोड स्थित करेंसी नोट प्रेस 10, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपए के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है।

4. **बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश)** : देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 500 पए के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है।

5. **शाहबनी (प. बंगाल) तथा मैसूर (कर्नाटक) के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड** : दो नए एवं अतयाधुनिक करेन्सी नोट प्रेस मैसूर (कर्नाटक) तथा साल्बोनी (प. बंगाल) में स्थापित किए गए हैं। यहाँ RBI के नियंत्रण में करेन्सी नोट छापे जाते हैं। इन नए मुद्रणालयों में 1998–99 तक 10,000 मिलियन करेन्सी नोटों का अतिरिक्त वार्षिक मुद्रण का अनुमान था। देवास तथा नासिक रोड स्थित करेन्सी नोट प्रेसों में प्रतिवर्ष 6000 मिलियन करेन्सी नोटों का मुद्रण होता है।

6. **सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)** : बैंक और करेन्सी नोट कागज तथा नॉन जयूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में 1967–68 में चालू की गई थी।

टकसाल
(Mints)

सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चाँदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की चार टकसालें मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित है। मुम्बई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफी समय पहले क्रमशः 1830, 1903 और 1950 में स्थापित की गई थीं, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। मुम्बई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों (मेडल) का भी उत्पादन किया जाता है। नाएडा की टकसाल में नवीनतम मशीनरी तथा उपकरण हैं, परन्तु अन्य तीनों टकसालों की मशीनें काफी पुरानी हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके रखरखाव पर काफी लागत आती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। चालू वर्ष 2010 में अपनी स्थापना के 75 वर्ष भारत के इस केन्द्रीय बैंक ने पूरे किए हैं। इन 75 वर्षों में कुल 22 व्यक्तियों ने इस बैंक के सर्वोचच गवर्नर पद को सुशोभित किया है। इन सभी 22 व्यक्तियों के नाम व आरबीआई गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल निम्नलिखित है–

क्र.	गवर्नर	कार्यकाल
1.	सर ओसबोर्न स्मिथ (Sir Osborne Smith)	1–4–35 से 30–6–37
2.	सर जेम्स टेलर (Sir James Taylor)	1–7–37 से 17–2–43
3.	सर सी. डी. देशमुख	11–8–43 से 30–6–49
4.	सर बेनेगल रामाराउ	1–7–49 से 14–1–57
5.	के. जी. अंबेगावकर	14–1–57 से 28–2–57
6.	एच.वी.आर. आयंगर	1–3–57 से 28–2–62
7.	पी.सी. भट्टाचार्य	1–3–62 से 30–6–67
8.	एल.के. झा	1–7–67 से 3–5–70
9.	बी.एन. अदारकर	4–5–70 से 15–6–70
10.	एस. जगन्नाथन	16–6–70 से 19–5–75
11.	एन.सी. सेनगुप्ता	19–5–75 से 19–8–75
12.	के.आर. पुरी	20–8–75 से 2–5–77
13.	एम. नरसिंहम	2–5–77 से 30–11–77
14.	आई. जी. पटेल	1–12–77 से 15–9–82
15.	डॉ. मनमोहन सिंह	16–9–82 से 14–1–85
16.	ए. घोष	15–1–85 से 4–2–85
17.	आर. एन. मल्होत्रा	4–2–85 से 22–12–90
18.	एस. वेंकटारमणन	22–12–90 से 21–12–90
19.	डॉ. सी. रंगराजन	22–12–92 से 21–11–97
20.	डॉ. बिमल जालान	22–12–97 से 6–9–03
21.	डॉ. वाई. वी. रेड्डी	6–9–03 से 5–9–08
22.	डी. सुब्बाराव	5–9–08 से अब तक

भारत को FDI में शीर्षस्थ देशों का हिस्सा (अगस्त 1991 से मार्च 2007 तक)

देश	FDI अन्तर्प्रवाह राशि	प्रतिशत
1. मॉरिशस	18146.81	41.24
2. सं. रा. अमरीका	5893.99	12.78
3. यू. के.	3857.25	6.68
4. नीदरलैण्ड	2637.86	5.97
5. जापान	2208.51	4.85
6. जर्मनी	1701.63	3.68
7. सिंगापुर	1628.18	3.67
8. फ्रांस	895.44	1.96
9. दक्षिणी कोरिया	822.68	1.66
10. स्विट्जरलैण्ड	692.17	1.50
कुल (अन्य को सम्मिलित करते हुए)	**54628.85**	